राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : देशल दान, (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :–27 / 2022 दायर दिनांक :–08.09.2022

जीसीएमएस नं.–2022 / 55 निर्णय दिनांक :–15.04.2026

1. श्री शंकर पिता लालू अहारी,
2. सुरमाल पिता कालू अहारी,
3. हजुरा पिता लालू अहारी,
   निवासीयान–सारोली तहसील–सीमलवाडा जिला–डूंगरपुर

प्रार्थीगण,

1. श्रीमति गोरी पत्नि काना आमलिया,
2. श्री काना पिता फूला आमलिया,
   निवासी–सारोली तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
3. तहसीलदार, भूमिधारी तहसील–सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
4. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सीमलवाडा हाल भारतीय स्टेट बैंक सीमलवाडा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–

1. श्री नगीन पटेल, अधिवक्ता–प्रार्थीगण
2. श्री प्रवीण शुक्ला, अधिवक्ता–विपक्षीगण

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4)
राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी संख्या प्रार्थीगण के वपोती खाते कब्जे काश्त की जमीन से सटकर विलानाम भूमि मौजा सरोली पटवार हल्का लिखी वडी मे खसरा नंवर 478 मे से 2 बीघा भूमि पर वाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण के 3 मकान बने हुए हैं जिसमे वह परिवार सहीत निवास कर रहे हैं और जमीन मे वाड भी लगा रखी है वाड के सहारे पेड पौधे भी स्थित है। प्रार्थीगण के पुराने कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंवर 478 रकवा 2 बीघा का आवंटन दिनांक 15.06.2002 को जरिए मिसल नंवर 1001 / 02 के विपक्षीगण 1 व 2 के नाम से आवंटन किया गया है। उक्त आंवटन नियमों के विरुद्ध किया गया और पटवारी द्वारा आवंटन की सिफारिश अप्रार्थीगण से मिलकर की गई है। आवंटन के समय व आवंटन के वाद कभी भी अप्रार्थीगण का कब्जा नही रहा है और न कब्जा करने की कोशिश की है। उक्त भूमि की भौतिक रूप से मौके की जांच नही की गई। अप्रार्थीगण नें पटवारी हल्का व राजनैतिक प्रभाव से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया है। उपखंड अधिकारी, सीमलवाडा के आदेश क्रमांक 154–56 दिनांक 15.06.2002 को खसरा नंवर 478 रकवा 2 बीघा का नामान्तरण दर्ज किया गया है जिसका उप खसरा नंवर 658 / 478 रकवा 2 बीघा है । अप्रार्थीगण के नाम से पूर्व से ही खाते में सवा ग्यारह बीघा भूमि खाते मे दर्ज है। इसे नजरअंदाज कर आवंटन कमेटी द्वारा पटवारी की जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए गलत तथ्यों पर अप्रार्थीगण के नाम आवंटन किया गया है। अतः मौजा सारोली पटवार हल्का लिखी वडी के खसरा नंवर 478 रकवा 2 बीघा का अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम जरिए मिसल नंवर 1001 / 2002 दिनांक 15.06.2002 को किया गया आवंटन निरस्त किए जाने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत् प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस जवाव देही तलव किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 कि ओर से जवाव प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पास काफी भूमि है । प्रार्थीगण द्वारा झुठा विवरण अंकित किया है। खसरा संख्या 478 से प्रार्थीगण के मकान भूमि 2 किलोमीटर दूर हैं। आवंटन समिति ने मौके की स्थिति की जांच कर ही अप्रार्थीगण को 20 वर्ष पूर्व सही आवंटन किया है तव से अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। भूमि पर कभी प्रार्थीगण का कब्जा नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज करना फरमाया जाए।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

तहसीलदार सीमलवाडा कि प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 06.10.2025 में ग्राम सारोली के खसरा नंबर 478 रकवा 2 बीघा हाल नंबर 658/478 रकबा 2 बीघा में पर्चा मौके में बनाये गये नजरी नक्शा में अंकित स्थानो में स्थान बी पर प्रार्थीगण संख्या 1 श्री शंकर पिता लालू अहारी का पशु घर है तथा वह निवासरत है। स्थान सी पर अप्रार्थीगण संख्या 1 गौरी पत्नि काना अहारी का आवासीय केलू पोश मकान है। प्रकरण दौरान शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सीमलवाडा हाल भारतीय स्टेट बैक सीमलवाडा को पक्षकार बनाया जिनकी और से कोई उपस्थित नही हुआ।

उभयपक्ष की वहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सारोली के खसरा नंबर 478 रकबा 2 बीघा हाल नंबर 658/478 रकबा 2 बीघा उनके कब्जे काश्त की रही है तथा प्रार्थीगण मकान बनाकर रह रहे हैं, जो तहसीलदार रिपोर्ट में भी सावित है। तथा विजली के बिल पेश किए है। अप्रार्थीगण को आवंटन 2002 में नियम विरूद्व किया गया है क्योकि उनका कब्जा नही रहा है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण को 2002 से खातेदारी अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण का आवंटन निरस्त कराने का कोई अधिकार नही होने तथा अप्रार्थीगण 20 वर्ष से अधिक समय से खातेदार है। वर्ष 2010 में 188 के दावे में भी उपखंड अधिकारी सीमलवाडा द्वारा विस्तृत तनकीवार निर्णय किया गया है जिसमें प्रार्थीगण का कोई अधिकार नहीं माना एवं उनको जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया गया है। उसकी इजराय/पालना को प्रभावित करने की मंशा से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

मेरे द्वारा प्रकरण में उपलब्ध प्रार्थना पत्र के अभिलेखो और जवाब के अभिलेखो को देखा जाकर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज हैं तथा काविज हैं। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के निर्णय फोटोप्रति जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है जिसमें विपक्षी गौरी जो वादी थी और इस विचाराधीन प्रकरण में शंकर आदि प्रतिवादी थे के प्रकरण में शंकर पिता लालु एवं अन्य के खिलाफ आराजी नं. 658/478 को लेकर श्रीमति गौरी पत्नी काना के पक्ष में वाद डिक्री किया गया है। प्रार्थीगण के मकानात बने हुए हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे ये प्रमाणित हो कि उनका कब्जा आवंटन से पूर्व ही था और आवंटन गलत हुआ है। आवंटन कपट द्वारा अथवा दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हो ऐसा साबित नही हुआ है। जबकि अप्रार्थीगण स्वयं के खातेदारी अधिकार तथा आवंटन नियमो की पालना को सिद्व करने में सफल रहे हैं। उक्त आवंटन वर्ष 2002 का है तथा आवंटन के 20 वर्ष पश्चात यह आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश हुआ है। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2009(1) RRT 453 में भी इस बात को पुष्ट किया गया कि विपक्षी पक्षकार का खातेदार की विवादित आराजी पर कब्जा मात्र होने से खातेदारी अधिकार समाप्त नही किया जा सकते है। अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 निरस्त योग्य पाया जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

(देशल दान),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर